



The Uttar Pradesh Prayagraj Mela Authority Allahabad Act, 2017

Act 5 of 2018

Keyword(s):

Additional Mela Adhikari, Kumbh Mela, Commissioner, Fund, Maha Kumbh Mela, Mela Adhikari, Mela Area, Religious, Sangam

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 2018

पौष 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 2730/79-वि-1-17-1(क)23/17

लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर माघ और फाल्गुन (जनवरी एवं फरवरी) माह में आयोजित किये जाने वाले और क्रमशः प्रत्येक छः वर्ष और बारह वर्ष के अन्तरालों पर कुम्भ तथा महाकुम्भ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद नामक प्राधिकरण की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(3) इसका विस्तार इलाहाबाद स्थित संगम क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के लिए होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित किया जाय।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

परिभाषाएँ

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) 'अपर मेला अधिकारी' का तात्पर्य मेला अधिकारी की सहायता करने और उसकी अनुपस्थिति में मेला अधिकारी की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का निष्पादन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(ख) 'कुम्भ मेला' का तात्पर्य संगम में प्रत्येक छः वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किये जाने वाले धार्मिक मेला से है;

(ग) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित प्रयागराज मेला प्राधिकरण से है;

(घ) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेला अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(ङ) 'आयुक्त' का तात्पर्य इलाहाबाद मण्डल के आयुक्त या ऐसे अधिकारी से है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय ;

(च) 'जिला मजिस्ट्रेट' का तात्पर्य इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट से है;

(छ) 'निधि' का तात्पर्य धारा 17 के अधीन किसी निधि से है;

(ज) 'हरित परिक्षेत्र' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो पोलीथीन कूड़ा-कचरा और ऐसे किसी क्रियाकलाप से मुक्त हो जिससे पर्यावरण प्रदूषित होना सम्भावित हो और जो केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिकूल हो;

(झ) 'महाकुम्भ' मेला का तात्पर्य संगम में प्रत्येक बारह वर्षों के अन्तराल पर आयोजित किये जाने वाले धार्मिक मेला से है;

(ञ) 'माघ मेला' का तात्पर्य गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर विक्रम संवत् के माघ माह की पूर्णिमा और फाल्गुन माह में पड़ने वाले महाशिवरात्रि दिवस के मध्य आयोजित किये जाने वाले धार्मिक मेला से है;

(ट) 'मेला अधिकारी' का तात्पर्य प्राधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन मेला सम्बन्धी मामलों का निष्पादन तथा प्रबंधन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(ठ) 'मेला क्षेत्र' का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा नियमावली के अनुसार मेला क्षेत्र की सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए सरकारी गजट में यथा अधिसूचित संगम के आस-पास के क्षेत्र से है;

(ड) 'धार्मिक जनसमूह' का तात्पर्य गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में और उसके आस-पास धार्मिक अनुष्ठान सम्पादित करने हेतु पुरुषों, महिलाओं और बालकों के लघु और विशाल समूह से है;

(ढ) 'संगम' का तात्पर्य गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम और उसके आस-पास के स्थल से है।

प्राधिकरण
की स्थापना

3—(एक) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करने हेतु प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद, नामक प्राधिकरण स्थापित करेगी;

(दो) उक्त प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा;

(तीन) प्राधिकरण का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

प्राधिकरण की
संरचना

4—प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल

अध्यक्ष /अध्यक्षा

(दो) पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र

उपाध्यक्ष /उपाध्यक्षा

(तीन) जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद

उपाध्यक्ष /उपाध्यक्षा

(चार) मेला अधिकारी/मेला मजिस्ट्रेट	(महाकुम्भ मेला या कुम्भ मेला के समय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त) मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ सचिव
(पाँच) अपर मेला अधिकारी/अपर मेला मजिस्ट्रेट	राज्य सरकार द्वारा महाकुम्भ मेला या कुम्भ मेला के समय नियुक्ति सदस्य सचिव या जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा नियुक्त स्थानापन्न मेला अधिकारी सदस्य सचिव होगा
(छः) उपाध्यक्ष/इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद	सदस्य
(सात) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद	सदस्य
(आठ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (महाकुम्भ मेला/कुम्भ मेला इलाहाबाद)	सदस्य
(नौ) नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद	सदस्य
(दस) संयुक्त निदेशक, कोषागार इलाहाबाद	सदस्य
(ग्यारह) प्रबंध निदेशक, नगर परिवहन सेवाएं	सदस्य
(बारह) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद	सदस्य
(तेरह) अधीक्षक अभियंता, सिंचाई विभाग, इलाहाबाद	सदस्य
(चौदह) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद	सदस्य
(पन्द्रह) अधीक्षण अभियंता, जल निगम, इलाहाबाद	सदस्य
(सोलह) अधीक्षण अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, इलाहाबाद	सदस्य
(सत्रह) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद, इलाहाबाद	सदस्य
(अठारह) प्रभारी अधिकारी, गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इकाई, इलाहाबाद	सदस्य
(उन्नीस) सेना का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(बीस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले तीन सदस्य, जो प्रख्यात व्यक्ति होंगे।	सदस्य

5-(1) प्राधिकरण में कार्यालय और दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिए स्थायी प्राधिकरण का और अस्थायी कर्मचारी-वर्ग होंगे; कर्मचारी वर्ग

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का पद सृजन कर सकता है;

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारी-वर्ग का वेतन और भत्तों सहित सेवा की निबंधन एवं शर्तों को, राज्य सरकार के अनुमोदन से, अन्तिम रूप प्रदान किया जायेगा;

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाएं अधियाचित कर सकता है;

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी वर्ग ऐसे अध्यक्ष/अध्यक्षा जो उनका नियुक्ति प्राधिकारी होगा/होगी, के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में होंगे किन्तु वे मेला अधिकारी/सचिव के सीधे नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य

6—प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :-

(क) वर्ष पर्यन्त मेला के उत्तम प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए ऐसे अवसंरचना जैसाकि प्राधिकरण विनिश्चित करें, की व्यवस्था तथा उसका सृजन करने हेतु मेला क्षेत्र स्थित छावनी/अन्य भूमि की दीर्घकालिक पट्टा के लिए करार करना;

(ख) लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मेला क्षेत्र में ऐसी नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना और ऐसे मार्गदर्शनों और नियमों के अनुसार प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था करना;

(ग) मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बंधी सुविधाओं की, और मेला क्षेत्र को वर्ष पर्यन्त रोग, कीड़ा-मकौड़ा और नाशकजीव से मुक्त बनाने के क्रियाकलापों की व्यवस्था करना और मेला क्षेत्र में स्वच्छ पेय जल तथा प्राथमिक उपचार सुविधाओं की भी व्यवस्था करना;

(घ) गंगा एवं यमुना नदी तटों के विस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए यथा अनुमन्य एवं अपेक्षित अस्थायी या स्थायी संरचना द्वारा संगम और मेला क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था करना;

(ङ) समस्त अवसंरचना से सुसज्जित स्थायी पुलिस थाना की व्यवस्था करना जिससे कि मेला क्षेत्र में धार्मिक जन समूह को नियंत्रित एवं प्रशासित किया जा सके और उक्त क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखा जा सके;

(च) मेला और संगम क्षेत्र में और उनके चारों ओर हरित परिक्षेत्र विकसित और अनुरक्षित करना।

पथकर अधिरोपित करने की प्राधिकरण की शक्ति

7—प्राधिकरण उपविधि द्वारा मेला क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित को अधिरोपित करेगा:-

(क) मेला क्षेत्र में यान के पार्किंग पर या विक्रय या प्रदर्शनी/विज्ञापन हेतु माल लाने वाले किराी यान या किसी व्यक्ति के प्रवेश पर पथकर;

(ख) कारबार, व्यापार या व्यवसाय सम्बंधी क्रियाकलाप के रजिस्ट्रीकरण पर शुल्क;

(ग) सेवा प्रभार के रूप में व्यक्तियों को उपलब्ध करायी गयी सेवाओं पर शुल्क;

(घ) मेला क्षेत्र में अन्य प्रभार और शुल्क जैसा कि प्राधिकरण मेला के हित में उचित और आवश्यक समझे।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्राधिकरण की शक्ति

8—प्राधिकरण उपविधियों द्वारा ऐसा शुल्क विहित कर सकता है जिसके संदाय पर और शर्तों के अधीन मेला क्षेत्र में कोई व्यवसाय, व्यापार या धंधा करने के लिए किराी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सकता है।

बैठने का स्थान

9—प्राधिकरण के पास इलाहाबाद में समय-समय पर अपनी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समस्त अवसंरचनाओं सहित किसी भवन में एक स्थायी कार्यालय होगा।

प्राधिकरण की बैठकें

10--(1) प्राधिकरण प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा ;

(2) इलाहाबाद के अन्तर्गत बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष/अध्यक्षा द्वारा नियत किया जायेगा ;

(3) प्राधिकरण उपविधियों द्वारा बैठकों की प्रक्रिया विहित कर सकता है।

बैठक के लिए गणपूर्ति

11--(1) जहां कोई कारबार किया जाना अपेक्षित हो वहां गणपूर्ति प्राधिकरण के न्यूनतम आधे सदस्यों से होगी;

(2) जहां कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में न आयोजित की जा सके वहां अध्यक्ष/अध्यक्षा यह निदेश देगा/देगी कि उक्त बैठक का कारबार संव्यवहृत करने हेतु बैठक, इलाहाबाद में ऐसे स्थान और समय पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि वह उचित समझे और तदोपरान्त सचिव, प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को सूचित करेगा।

- 12-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकते हैं। नियमावली बनाने की शक्ति
- 13-प्राधिकरण अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों सहित सेवा की निबंधन एवं शर्तों का उपबंध करने हेतु विनियमावली बना सकता है। विनियमावली बनाने की शक्ति
- 14-प्राधिकरण अपने कार्यप्रणाली की प्रक्रिया को विहित करने हेतु उपविधियां बना सकता है। उपविधियां बनाने की शक्ति
- 15-प्राधिकरण की उपविधियां निम्नलिखित रीति से बनायी जायेंगी :- उपविधियां कैसे बनायी जायें

(एक) उपविधियों का प्रारूप तैयार किया जाना :

सचिव अध्यक्ष/अध्यक्षा की सहमति से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तावित प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण उपविधियों के प्रारूप में संशोधन के साथ या उसके बिना उसे अनुमोदित कर सकता है।

(दो) प्रस्तावित उपविधियों के प्रारूप में आपत्ति या सुझाव के संबंध में प्राधिकरण द्वारा सुनवाई :

प्राधिकरण द्वारा तब तक कोई उपविधि नहीं बनायी जायेगी जब तक कि -

(क) नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात ऐसी उपविधियों पर विचार करने के प्राधिकरण के आशय की नोटिस उक्त दिनांक के पूर्व दो समाचार पत्रों में न दे दी जाय;

(ख) उपविधियों की प्रमाणित प्रतिलिपि सचिव के कार्यालय में न रख दी जाय और उप खण्ड (क) के अधीन दी गयी नोटिस के दिनांक से युक्तियुक्त समय पर उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन करने के इच्छुक किसी व्यक्ति द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक रूप से अवलोकन किये जाने हेतु उपलब्ध न करा दी जाय;

(ग) ऐसी उपविधियों की मुद्रित प्रतियां, प्रत्येक प्रति हेतु सचिव द्वारा यथानियत शुल्क के संदाय पर उक्त प्रतियों की अपेक्षा करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध न करा दी जायं;

(घ) खण्ड (क) के अधीन दी गयी नोटिस के दिनांक के पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गयी समस्त आपत्तियों और सुझावों पर प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विचार न कर लिया जाय;

(तीन) प्रकाशित की जाने वाली उपविधियां : खण्ड (1) के अधीन बनायी गयी उपविधियां गजट में प्रकाशित की जायेंगी।

(चार) विक्रय की जाने वाली उपविधियों की प्रतियां : सचिव उपविधियां मुद्रित करायेगा और प्रत्येक प्रति हेतु ऐसे शुल्क, जैसा कि उसके नियत किया जाय, के संदाय पर उन प्रतियों की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को मुद्रित प्रतियां उपलब्ध करायेगा।

(पाँच) तत्समय प्रवृत्त उपविधियों की प्रतियां, प्राधिकरण के कार्यालय के किसी भाग, जिसमें सामान्य जनता पहुँच सके, में और ऐसे अन्य स्थानों, यदि कोई हो, पर जैसा कि सचिव उचित समझे, सार्वजनिक रूप से अवलोकन के लिए रखी जायेगी।

(छः) उपधारा (1) उपबंध उपविधियों का उपान्तरण करने में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

16-(1) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि में पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधन या निरसन किया जाना चाहिए तो उसे प्राधिकरण को अपनी ऐसी राय होने के कारण को संसूचित करना होगा और ऐसे युक्तियुक्त अवधि विहित करनी होगी जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण तत्सम्बन्ध में ऐसा प्रत्यावेदन, जिसे वह उचित, समझे कर सके;

उपविधियों में उपान्तरण करने या उन्हें निरस्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

(2) ऐसे किसी प्रत्यावेदन को प्राप्त करने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि इस बीच में विहित अवधि की समाप्ति से सम्बन्धित कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार किसी भी समय गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी उपविधियों में पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधन या निरसन कर सकती है ;

(3) उपधारा (1) के अधीन उपविधियों का संशोधन या निरसन, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

निधि

17-(1) प्राधिकरण के पास माघ मेला क्षेत्र के अन्तर्गत कुम्भ मेला या महा कुम्भ मेला या कोई अन्य मेला आयोजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यथा उपबंधित निधि और वित्त व्यवस्था संबंधी उपविधियों के अधीन ऐसे राजस्व स्रोतों, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय, से ग्रहण की जाने वाली अपनी स्वयं की निधियां होगी ;

(2) निधि का संचालन प्राधिकरण के अध्यक्ष/अध्यक्षा के अनुमोदन से मेला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

18-इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित धार्मिक जनसमूह से भिन्न किसी प्रकार के सार्वजनिक जनसमूह की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19-संगम क्षेत्र में किसी प्रकार के क्रिया कलाप और पुरुषों, महिलाओं या बालकों के ऐसे किसी लघु या वृहत जनसमूह की अनुमति नहीं दी जायेगी जो पर्यावरण, लोक शांति और प्रशांति के लिए परिसंकटमय हो।

20-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की किसी भी शक्ति को प्रदत्त कर सकती है और ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने पर इन धाराओं के उपबंध मेला क्षेत्र हेतु लागू हो जायेंगे, मानों मेला क्षेत्र नगर निगम का भाग हो और प्राधिकरण का प्रभारी अधिकारी उक्त अधिनियम में परिभाषित नगर आयुक्त हो और मानों प्रभारी अधिकारी के किन्हीं आदेशों के उपबंधों का उल्लंघन किया जाना उक्त अधिनियम का उल्लंघन किया जाना समझा जायेगा।

शक्तियां

21-ऐसा कोई व्यक्ति, जो

(क) कोई अनधिकृत निर्माण करता है, या

(ख) किसी अनधिकृत स्थान का, शौचालय, मूत्रालय, कूड़ा करकट स्थल के रूप में, प्रयोग करता है, या

(ग) धारा 8 के उपबंधों के अधीन प्राप्त किसी अनुज्ञप्ति के बिना कोई व्यवसाय, व्यापार या धन्धा करता है अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है, या

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी किसी नियमावली/ उपविधियों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन विधि सम्मत रूप से जारी किसी लिखित आदेश या निदेश की अवज्ञा करता है,

वह दोष-सिद्ध होने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जहाँ अपराध निरन्तर जारी हो या बार-बार घटित होता हो वहाँ वह ऐसे प्रथम अपराध जिसके दौरान अपराधी द्वारा ऐसा अपराध किया जाना प्रमाणित हो जाये, के दिनांक के पश्चात् ऐसे अग्रतर जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रति दिन एक सौ रुपये तक हो सकता है।

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या
16 सन् 1938 का
संशोधन

22-संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम 1938 में;

(क) धारा - 3 निकाल दी जायेगी;

(ख) धारा 4 में, प्रथम परन्तुक शब्द इलाहाबाद में और निकाल दिये जायेगे;

(ग) 'द्वितीय परन्तुक' निकाल दिया जायेगा।

23—(1) यदि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अपेक्षित कारण से आदेश या यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे आदेश के दिनांक के पश्चात् ऐसी अवधि, जो बारह माह से अधिक न हो, के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसा कि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्याधीन प्रभावी होगा ;

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

24—(1) उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अध्यादेश, 2017 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्ति

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा उत्तर प्रदेश संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की अध्यादेश संख्या गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल 4 सन् 2017 अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समर्थों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद में स्थित गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर क्रमशः प्रत्येक बारह वर्ष और छःवर्ष पर कुम्भ मेला और अर्द्धकुम्भ मेला आयोजित किया जाता है। शेष अवधि में प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है। उक्त मेलों का आयोजन संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 के सुसंगत उपबंधों के अधीन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ जनवरी से मार्च तक संगम क्षेत्र में तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट उपबंध किये जाते हैं। तीर्थ यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेला प्रशासन उत्तरदायी है। उक्त मेलों के अतिरिक्त वर्ष की शेष अवधि में संगम क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पवित्र स्नान हेतु आते हैं। अमावस्या के दिनों में तीर्थयात्रियों की उक्त संख्या लाखों में पहुँच जाती है। उक्त अवधि में तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। अतएव इलाहाबाद में गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर माघ और फाल्गुन (जनवरी और फरवरी) माह में आयोजित किये जाने वाले मेलों और क्रमशः प्रत्येक छः वर्ष तथा बारह वर्ष के अन्तरालों पर अर्द्धकुम्भ मेला तथा कुम्भ मेला के प्रबन्धन के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद नामक एक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक विधि बनायी जाय। यह भी विनिश्चय किया गया है कि अर्द्धकुम्भ मेला तथा कुम्भ मेला का नाम परिवर्तित करके क्रमशः कुम्भ मेला तथा महाकुम्भ रखा जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी, जिनके कारण पूर्वोक्त विनिश्चयों को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला, प्राधिकरण, इलाहाबाद अध्यादेश, 2017 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या—4 सन् 2017) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2730(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka) 23/17

Dated Lucknow, January 6, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Prayagraj Mela Pradhikaran, Allahabad Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018.

THE UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ MELA AUTHORITY,
ALLAHABAD ACT, 2017

(U.P. ACT NO. 5 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the establishment of an authority to be known as the Prayagraj Mela Authority, Allahabad for management of Melas to be organized at Allahabad in the month of Magh and Falgun (January and February) and Kumbh and Maha Kumbh at intervals of every six years and twelve years respectively at the confluence of rivers Ganga, Yamuna and mystical Saraswati

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prayagraj Mela Authority, Allahabad Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 30, 2017.

(3) It extends to the area of Sangam, Allahabad or such area as may be notified by State Government in the *Gazette*.

Definitions

2. In this Act unless the context otherwise requires, -

(a) 'Additional Mela Adhikari' means an Officer appointed by District Magistrate for assisting the Mela Adhikari and perform the roles and responsibilities of Mela Adhikari in his absence;

(b) 'Kumbh Mela' means a religious fair organized at an interval of every six years at Sangam;

(c) 'Authority' means The Prayagraj Mela Authority, Allahabad established under section 3;

(d) 'Chief Executive Officer' means the officer appointed by the State Government as Mela Adhikari;

(e) 'Commissioner' means the Commissioner of Allahabad Division or such officer as may be appointed by the State Government;

(f) 'District Magistrate' means the District Magistrate of Allahabad;

(g) 'Fund' means a fund under section 17;

(h) 'Green Zone' means an area free from polythene, garbage and any such activity which may pollute environment and is contrary to Swachh Bharat Mission of the Central Government;

(i) 'Maha Kumbh Mela' means a religious fair organized at an interval of every twelve years at Sangam;

(j) 'Magh Mela' means a religious fair organised between Poonnima of the month Magh and Mahashivratri day falling in the month of Falgun Vikram Samvat at the confluence of the rivers Ganga, Yamuna and mystical Saraswati ;

(k) 'Mela Adhikari' means an officer appointed by the State Government for the executing and managing the Mela affairs under the supervision of the Authority ;

(l) 'Mela Area' means an area surroundings Sangam as notified by the District Magistrate, Allahabad in official *gazzette* defining the limits of the Mela area in accordance with the rules;

(m) 'Religious Congregation' means small and large gathering of men, women and children to perform religious rituals at the confluence of Ganga, Yamuna and mystical Saraswati and it's surroundings;

(n) 'Sangam' means the place of confluence of rivers Ganga, Yamuna and mystical Saraswati and the surroundings thereof.

3. (i) The State Government shall within three months from the date of commencement of this Act, by notification, establish an 'Authority' to be known as 'Prayagraj Mela Authority, Allahabad' to exercise the powers conferred and perform the functions assigned to it under this Act.

Establishment of the Authority

(ii) The Authority shall be a body corporate.

(iii) The Head Quarter of the Authority shall be at Allahabad.

4. The Authority shall consist of the following members:-

Composition of the Authority

(i) The Commissioner, Allahabad Division	Chairperson
(ii) Inspector General of Police, Allahabad Zone	Vice-Chairperson
(iii) The District Magistrate, Allahabad	Vice-Chairperson
(iv) Mela Adhikari / Mela Magistrate	The Chief executive officer/ Secretary (Appointed by the State Government at the time of Maha Kumbh Mela or Kumbh Mela)
(v) Additional Mela Adhikari/ Additional Mela Magistrate,	Member/Secretary Appointed by the State Government at the time of Maha Kumbha Mela or Kumbha Mela or an officiating Mela Adhikari appointed by District Magistrate Allahabad will be the Member Secretary
(vi) Vice-Chairman, Allahabad Development Authority , Allahabad.	<i>Member</i>
(vii) Senior Superintendent of Police, Allahabad	<i>Member</i>
(viii) Senior Superintendent of Police (Maha Kumbh Mela/Kumbh Mela, Allahabad)	<i>Member</i>
(ix) Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Allahabad	<i>Member</i>
(x) Joint Director Treasury, Allahabad	<i>Member</i>
(xi) Managing Director, City Transport Services	<i>Member</i>
(xii) Chief Medical Officer, Allahabad	<i>Member</i>
(xiii) Superintending Engineer Irrigation Department, Allahabad	<i>Member</i>
(xiv) Superintending Engineer, P.W.D., Allahabad	<i>Member</i>
(xv) Superintending Engineer, Jal Nigam, Allahabad	<i>Member</i>

(xvi) Superintending Engineer, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam, Allahabad	<i>Member</i>
(xvii) Chief Executive Officer, Cantonment Board, Allahabad	<i>Member</i>
(xviii) Officer <i>In-charge</i> , Ganga Pollution Control Board Unit, Allahabad	<i>Member</i>
(xix) A Representative of the Army	<i>Member</i>
(xx) Three members to be nominated by the State Government, who shall be an eminent persons	<i>Member</i>

The Staff of
the Authority

5. (1) The Authority shall have such permanent and temporary staff to run its office and day to day work.

(2) The Authority may, with the approval of State Government, create posts of the officers and employees of the Authority .

(3) The terms and conditions of the service including the salaries and allowances of the staff appointed under sub section (1) shall be finalized with the approval of the State Government.

(4) For the purpose of carrying out its functions under this Act the Authority may requisition the services of any officer or employee with the approval of the State Government.

(5) Staff referred in sub section (1) shall be under the administrative and disciplinary control of the Chairperson, who shall be the appointing Authority but perform the duties under the direct control of the Mela Adhikari/Secretary.

Functions of the
Authority

6. The powers and functions of the Authority shall be, -

(a) to enter into agreement for a long term lease of such Cantonment/other land at the Mela area to provide and create such infrastructure as the Authority may decide for better management and administration of Mela throughout the year;

(b) to provide for such civic amenities in the Mela Area keeping in view the health of people and provide pollution free clean environment as per the guidelines and rules;

(c) to provide for health facilities in the Mela area and activities to make the Mela area free from diseases, insects and pests throughout the year and also to provide for supply of clean potable water and first aid facilities in the Mela area;

(d) to provide for Electricity in the Sangam and Mela Area by temporary or permanent structure as may be permissible and required keeping in view the shifting banks of river Ganga and Yamuna ;

(e) to provide for a permanent Police Station equipped with all infrastructure so as to control and administer religious congregation in the Mela area and to maintain law and order in the area;

(f) to develop and maintain Green Zone in and around Mela and Sangam Area.

Power of the
Authority to
impose tolls

7. The Authority may by bye-laws impose within the Mela area, -

(a) Tolls on the parking of vehicle or entering any vehicle or any person bringing goods for sale or for demonstration/ advertisement into the Mela area;

(b) fee on the registration of activity of business, trade or profession ;

(c) fee on the services provided to individual as service charge ;

(d) any other charge and fee in Mela Area as the Authority thinks fit and necessary in the interest of the Mela.	
8. The Authority, may, by bye-laws, prescribe fee on payment of which, and conditions subject to which a person or class of persons may be granted license to carry on any profession, trade or calling in the Mela area.	Power of the Authority to grant License
9. The Authority shall have a permanent office in a building at Allahabad with all infrastructure to meet the requirement of holding meetings of the Authority from time to time.	Place of sitting
10. (1) The Authority shall hold at least one meeting in every three months.	Meetings of the Authority
(2) The time and place of meeting within Allahabad shall be fixed by the Chairperson.	
(3) The Authority may by bye-laws prescribe the procedure of the meetings.	
11. (1) Where any business is required to be transacted quorum shall be at least one half of the members of the Authority.	Quorum for a meeting
(2) Where any meeting could not be held due to want of quorum, the Chairperson shall direct that the meeting to transact the business of said meeting shall be held at such time and place in Allahabad as he thinks fit and thereupon the Secretary shall give notice to all members of the Authority.	
12. The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.	Power to make rules
13. The Authority may make regulations to provide for the terms and conditions of service including the salary and allowances of the officers and employees of the Authority.	Power to make regulations
14. The Authority shall make bye-laws for prescribing the procedure of functioning of the Authority.	Power to make bye-laws
15. (1) The bye-laws of the Authority shall be made in the following manner,—	How to make bye-laws
(i) Preparation of the bye-laws draft— The secretary shall prepare and put up the proposed draft before authority with the consent of the Chairperson. The Authority may sanction with or without amendment of the draft of the bye-laws ;	
(ii) Hearing by authority of objection or suggestion to proposed draft bye-laws – No bye-law shall be made by the Authority unless,	
(a) A notice of intention of the Authority to take such bye-laws into consideration on or after a date to be specified in the notice shall be given in two newspapers, before such date ;	
(b) A certified copy of the bye laws shall be kept at the office of the secretary and made available for public inspection free of charge by any person desiring to pursue the same at reasonable point from the date of notice given under sub-clause (a);	
(c) Printed Copies of such bye-laws shall be delivered to any person requiring the same on payment of such fee, as may be fixed by the secretary per copy ;	
(d) All objections and suggestions which may be made in writing by any person with respect thereto before the date of the notice given under clause (a) shall have been considered by the authority or by officer authorized by Authority for the purpose ;	
(iii) Bye-laws to be published— The bye-laws made under clause (ii) shall be published in the <i>Gazette</i> ;	
(iv) Copies of bye-laws to be kept on sale—The secretary shall cause bye-laws to be printed and shall cause printed copies thereof to be delivered to any person requiring the same on payment of such fee for each copy, as may be fixed by the secretary ;	

(v) Copies of the bye-laws for the time being in force shall be kept for public inspection in some part of Authority office to which the general public has access and such other places, if any, as secretary thinks fit.

(2) The provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply in the modification of bye laws .

Power of State Government to modify or repeal bye-laws

16. (1) If at any time it appears to the State Government that any bye-law should be modified or rescissioned either wholly or in part, it shall communicate its reason for such opinion to the Authority and prescribe reasonable period within which the Authority may make any representation with regard thereto, which it shall think fit.

(2) After receipt and consideration of any such representation or, if in the meantime no such representation is received, of the expiry of the prescribed period, the State Government may at any time, by notification in the *Gazette*, modify or repeal such bye-laws either wholly or in part.

(3) The modification or repeal of the bye-laws under sub-section (1) shall be effective from the date of publication thereof in the *Gazette*.

Fund

17. (1) The Authority shall have own funds to be raised from such revenue sources as may be prescribed by it under the bye-laws the funds and finances as may be provided by the State Government for organizing Kumbh Mela or Maha Kumbh Mela or any other Mela within the area of Magh Mela.

(2) The fund shall be operated by the Mela Adhikari, Allahabad with the approval of the Chairperson of the Authority.

18. No public gathering other than the religious congregation as defined under this Act shall be permitted to be organized in the Mela area except with the prior permission of the Authority.

19. No activity of any kind and no small or large gathering of men and women or children will be permitted in the Sangam Area which may be hazardous to environment, public peace and tranquility.

20. The State Government may by notification confer upon the authority any of the power of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, and upon issue of such notification the provisions of the sections shall apply to the Mela area as if the Mela area is the part of a "Municipal Corporation" and the Officer In-charge of the Authority were Municipal Commissioner defined in the said Act and as if a contravention of the provisions of any orders of the Officer In-charge shall be deemed contravention of the said Act .

Penalties

21. Any person who,—

(a) makes any unauthorized construction; or

(b) uses any unauthorized place as a latrine, urinal or rubbish dump; or

(c) plies any profession, trade or calling without a license obtained under the provisions of section 8 or commits a breach of the conditions of such license; or

(d) contravenes any of the provisions of this Act or of any rules/ bye-laws made under this Act; or

(e) disobeys any order or direction in writing lawfully issued under this Act,

shall be punishable on conviction with by fine which may extend to (one thousand rupees) and where the offence is a continuing or recurring one with a further fine which may extend to (one hundred rupees) for every day after the date of first conviction during which the offender is proved to have persisted in such offence.

Amendment of U.P. Act no.xvi of 1938

22. In the United Provinces Melas Act, 1938,-

(a) Section-3 shall be *omitted*;

(b) In section 4 ,-

(1) in the first proviso, the words 'at Allahabad and' shall be *omitted*;

(2) the second proviso shall be *omitted*.

23. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, by reasons of anything contained in this Act, or any other enactment for the time being in force, the State Government may, as the occasion requires, by order direct that this Act, shall, during a period not exceeding twelve months after the date of such order have effect subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

Power to
remove
difficulties

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

U.P. Ordinance
no. 4 of 2017

24. (1) The Uttar Pradesh Prayagraj Mela Authority, Allahabad Ordinance, 2017 is hereby repealed.

Repeal and
saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At the confluence of river Ganga, Yamuna and Mystical Saraswati situated in district Allahabad of Uttar Pradesh Kumbh Mela and Ardha Kumbh Mela are organised at every twelve years and six years respectively. In the residuary period Magh Mela is organised every year. The said Melas are organised under the relevant provisions of the United Provinces Melas Act, 1938. Essential Facilities are being provided to the pilgrims in the Sangam region from the months of January to March every years. For this purpose budget provisions are made by the State Government. The Mela Administration is responsible to provide essential facilities to the pilgrims. Besides the said Melas thousands of pilgrims come to the Sangam region everyday for holy dip in the remaining period. The said number of pilgrims reaches in lakhs on Amavasya days. In the said period, essential facilities could not be made available to the pilgrims. It has therefore been decided to make a law to establish an authority by the name of Prayagraj Mela Authority, Allahabad for the management of Melas to be organised at Allahabad in the month of Magh and Falgun (January and February) and Ardha Kumbh Mela and Kumbh Mela at intervals of every six years and twelve years respectively at the confluence of river Ganga, Yamuna and Mystical Saraswati. It has also been decided to change the name of Ardha Kumbh Mela and Kumbh Mela as the Kumbh Mela and Maha Kumbh Mela respectively.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislature action was necessary to implement the aforesaid decisions, the "Uttar Pradesh Prayagraj Mela Authority, Allahabad Ordinance, 2017 (U.P. Ordinance no. 4 of 2017)" was promulgated by the Governor on November 13, 2017.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 795 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(2499)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 156 सा० विधायी-2018-(2500)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।